

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./13/2023

1. मन्नुदेवी नायक पत्नी ओमप्रकाश नायक जाति नायक निवासी लक्ष्मीपुरा (कनेईकलां) तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति रंजना जैन पुत्री श्री महावीर प्रसाद जैन(बावड़ी वाले) जाति जैन निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर
2. कमला कुमावत पुत्री चन्दू कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. काली कुमावत पुत्री चन्दू कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. भंवरलाल कुमावत पुत्र चन्दू कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. माया कुमावत पत्नी चन्दू कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. संजू कुमावत पुत्री चन्दू कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. प्रेम कुमावत पुत्री नन्दा कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. भाली कुमावत पुत्री नन्दा कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. माया कुमावत पुत्री नन्दा कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. लाली कुमावत पुत्री नन्दा कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. लक्ष्मण कुमावत पुत्र नन्दा कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
12. सुखदेव कुमावत पुत्र रामदेव कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. सुखदेव कुमावत पुत्र रामदेव कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. हंसराज कुमावत पुत्र रामदेव कुमावत जाति कुमावत निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
15. बंशीलाल भांभी पुत्र काना भांभी जाति भांभी निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
16. रामराज भांभी पुत्र काना भांभी जाति भांभी निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
17. विश्राम भांभी पुत्र काना भांभी जाति भांभी निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
18. शंकर भांभी पुत्र काना भांभी जाति भांभी निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
19. गोपाल भांभी पुत्र दयाल भांभी जाति भांभी निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
20. मदन भांभी पुत्र दयाल भांभी जाति भांभी निवासी कनेईकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री सुरेश दाधीच, रेखा चोहान
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:-31.01.2023

सांक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कनेईकलां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 251 में दर्ज खसरा नं. 215 रकबा 0.23, खसरा नं. 460 रकबा 1.01, खसरा नं. 465 रकबा 0.52 और खसरा नं. 466 रकबा 0.78 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.54 है0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 20 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 21 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 20 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 लगायत 20 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम काचरियां के खाता संख्या 251 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कनेईकलां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 251 में दर्ज खसरा नं. 215 रकबा 0.23, खसरा नं. 460 रकबा 1.01, खसरा नं. 465 रकबा 0.52 और खसरा नं. 466 रकबा 0.78 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.54 है0 हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)